

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 84/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/206

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
शिवलाल पुत्र प्रभुराम, जाति जाट, निवासी मैन बाजार अटबड़ा, तहसील सोजत जिला पाली		1. गिरधारीलाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी मैन बाजार अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली, राज. 2. मल्लाराम पुत्र प्रभुराम, जाति जाट निवासी मैन बाजार, अटबड़ा तहसील सोजत, जिला पाली 3. श्यामसिंह पुत्र प्रभुराम, जाति जाट निवासी मैन बाजार, अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली 4. ग्राम पंचायत अटबड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली 5. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

—: निर्णय :-

दिनांक : 17/09/2025

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 167/1984-85, संकल्प संख्या 1 दिनांक 09.02.1987 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04/1989-90 दिनांक 15.06.1989 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4 एवं 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता प्रभुराम के मालिकाना, स्वामित्व एवं कब्जासुदा भूखण्ड ग्राम अटबड़ा में आया हुआ है, जिसके पड़ोस पूर्व दिशा में गवई आखरिया चौक, पश्चिम दिशा में देवाराम पुत्र दूदाराम, जोगाराम, मेगाराम पि. गणेशजी घांची, उत्तर दिशा में जोगाराम पुत्र गणेशजी घांची का



मकान तथा दक्षिण दिशा में भैराराम पुत्र गणेशराम जाट का नौहरा अंकित है। उक्त सम्पत्ति का कभी भी विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। सम्पूर्ण सम्पत्ति का अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया जबकि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड में 1/4 हक हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत ने बिना मौका देखे, बिना आपत्ति नोटिस जारी किये, बिना पंचायत कोरम के जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जैर निगरानी पट्टे का आवेदन केवल अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया और पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी किया गया। प्रकरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् आपत्ति इशतिहार जारी हुआ है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में विहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी के कब्जेसुदा है, जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। सभी भाई पूर्व से ही अलग अलग है तथा प्रार्थी की सम्पत्ति अलग से है और प्रार्थी का पट्टा संख्या 4 जारी हो चुका है। जैर निगरानी पट्टा संयुक्त रूप से जारी हो रखा है इसलिये इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। प्रकरण में आपत्ति नोटिस वर्ष 1989 में जारी किया जिसमें प्रार्थी की कोई आपत्ति नहीं है और उक्त नोटिस पट्टा जारी करने से पूर्व की है। पट्टाधारक ने नियमानुसार आवेदन पत्र पेश किया तथा निर्धारित शूल्क जमा करवायी एवं ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 167/1984-85, संकल्प संख्या 1 दिनांक 09.02.1987 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04/1989-90 दिनांक 15.06.1989 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी भूखण्ड का केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता ने पूर्व में ही अपनी सम्पत्ति का बंटवाड़ा कर दिया था तथा जैर निगरानी भूखण्ड केवल अप्रार्थी के हिस्से में आया था जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टाधारक ने अपने आवेदन-पत्र में पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने का कथन किया। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के मौका निरीक्षण प्रपत्र में में मौके पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा होना वर्णित है। उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में उभयपक्ष का यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता की सम्पत्ति है अर्थात् प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैर आराजी पुश्तैनी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवाड़ा के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है।



[Handwritten signature]

यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथना करना स्वीकार्य नहीं। प्रकरण में यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और यदि कोई तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. साथ ही जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना-सम्पत्ति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है-याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह-स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था-अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह-स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है-अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है-किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226-ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया-चुनौती-विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है-अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है-अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है-महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है-आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो



(Handwritten signature)

प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 266 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उस पर केवल एक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर है जबकि प्रश्नगत पट्टा संयुक्त रूप से तीन व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 18.02.85 के द्वारा भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त होना तथा एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये जबकि पंचायत द्वारा न तो सचिव को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया न ही तीन पंचों को नामित करते हुये मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये। प्रकरण में सीधे ही मौका निरीक्षण प्राप्त होने के कथन करते हुये आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये, जो प्रथमदृष्टया राज पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का नक्शा कब बनाया गया, इस बाबत किसी दिनांक का अंकन नहीं है। आवेदक द्वारा नियम 256(2) के तहत खरीदी जाने के लिए चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 258 के तहत तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई और पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में पंचों के द्वारा कोई राय भी कायम नहीं की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment made by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this matter which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय कब्जे के सत्यापन हेतु आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से, कब्जे की पुष्टि के लिये दो स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये गये, जो कि नियमानुसार



(Handwritten signature)

अनिवार्य था। यह कार्रवाई नियमों के विपरीत है तथा इससे पट्टे की वैधता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है। प्रकरण में मिसल की आदेशिका दिनांक 24.03.1985 के द्वारा प्रकरण में आपत्ति नोटिस दिनांक 19.02.85 को जारी होना अंकित किया है जबकि प्रश्नगत नोटिस पर जारी होने की दिनांक 18.02.85 अंकित है, जो कि परस्पर विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 12.03.85 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 04.04.85 को हुई तथा कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 24.03.85 की बैठक के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं है जबकि बैठक रजिस्टर के पेज अनवरत है अर्थात् दिनांक 24.03.85 को ग्राम पंचायत में कोई बैठक आयोजित ही नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का अस्तित्व ही नहीं है, यानी पट्टा नियमविरुद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है।

जैर निगरानी पट्टा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 09.02.87 की पालना में जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 09.02.87 के प्रस्ताव संख्या 1 में जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। बैठक रजिस्टर में इसी दिनांक को अंकित अन्य प्रस्ताव संख्या 3 जो कि देखने मात्र से पश्चातवर्ती अंकित किया जाना प्रतीत होता है, में प्रश्नगत मिसल का अंकन किया हुआ है। जिस प्रस्ताव के तहत पट्टा जारी किया गया, उसमें जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई तथ्य दर्ज नहीं है तथा प्रस्ताव संख्या 3 पश्चातवर्ती, बिना आवश्यक कोरम के केवल सरपंच द्वारा पारित किया जाना प्रतीत होता है। यह प्रस्ताव सम्भवतः बाद में रजिस्टर में जोड़ दिया गया है, जो प्रक्रिया की पादरिश्ता पर सवाल खड़ा करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, कोई भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम के आधार पर पारित होना चाहिए। यदि कोई प्रस्ताव केवल सरपंच द्वारा पारित किया जाता है और रजिस्टर में बाद में जोड़ा जाता है, तो वह अवैध और शून्य माना जाता है। प्रकरण में जो आपत्ति इशतिहार जारी किया गया उसकी पुश्त पर न तो सहजृदश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित है और न ही दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961-नियम 255 से 265-आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है-प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई-भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई-कोई आपत्तियाँ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है-विक्रय को अभिखण्डित किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि



Handwritten signature

पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अटबड़ा मिसल संख्या 167/1984-85, संकल्प संख्या 1 दिनांक 09.02.1987 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 04/1989-90 दिनांक 15.06.1989 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत अटबड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर पाली